न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/4

कौशल सिंह आत्मज जोरावर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आवां तहसील कनवास, जिला कोटा

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कनवास, जिला कोटा (राज०)

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 31.07.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 54/2019 में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की साबिक खसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 503 रकबा 10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा आराजी वाके ग्राम आवां तहसील कनवास जिला कोटा में स्थित है जिनके बाद सेटलमेंट सम्वत् 2058 नवीन खसरा नम्बर 1594 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1595 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर कायम किये गये है जो वर्तमान जमाबंदी में दर्ज रिकॉर्ड है। वादग्रस्त आराजी राज्य सरकार द्वारा वादी को अलोट की गई थी तब से उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। किन्तु उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम के साथ–साथ अस्थाई खातेदार का नोट अंकित किया हुआ है जिसके कारण वादी को कृषि विकास कार्य करवाने, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने एवं बैंक से कृषि ऋण इत्यादि प्राप्त करने में काफी परेशानी होती है, जबकि नकल जमाबंदी परिवर्तनशील सम्वत् 2033–36 में वादी के नाम के साथ अस्थाई खातेदार का नोट अंकित नहीं है। माह जुलाई में वादी कृषि विकास हेतु वादग्रस्त आराजी स्थानीय बैंक में के.सी.सी. ऋण प्राप्त करने के लिए गया तो बैंक

अधिकारियों द्वारा अस्थाई खातेदार का नोट अंकित होने के कारण बैंक ऋण स्वीकृत करने में असमर्थता जताई जिसके बाद वादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से रजिस्टर्ड डांक से एक नोटिस दिनांक 26.07.2019 भी प्रतिवादी को प्रेषित किया गया किन्तु बावजूद नोटिस प्राप्ति प्रतिवादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त नहीं किया गया जिसके कारण वादी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। राजस्व रिकॉर्ड की उक्त त्रुटि को न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। यदि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त दुरूस्ती नहीं की गई तो ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसका भविष्य में पूर्ति किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। वाद कारण वादी द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 26.07.2019 की प्राप्ति के बावजूद भी प्रतिवादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त नहीं करने से उत्पन्न हुआ है। अन्त में वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम के साथ अंकित अस्थाई खातेदार के अंकन का नोट हटावा जावे। साथ ही अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रकरण की परिस्थितियों में न्यायसंगत हो वादी को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.04.2024 को वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी गरीब अशिक्षित एवं वृद्ध व्यक्ति है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होने हेतु मना कर रखा था और कह रखा था कि जब भी आवश्यकता होगी प्रार्थी को सूचित कर देंगे। इस पर प्रार्थी अपने अधिवक्ता से फोन के माध्यम से तारीख पेशी मालूम करता रहा। प्रार्थी अन्य किसी काम से दिनांक 20.12.2024 को वकील साहब से जाकर सम्पर्क किया तब वकील साहब द्वारा बताया गया कि प्रार्थी के उक्त वाद का फैसला हो गया है जिस पर प्रार्थी वकील साहब के कार्यालय में उपस्थित हुआ और वकील साहब द्वारा पत्रावली देखकर आदेश के बारे में बताया जिस पर प्रार्थी वकील साहब से पत्रावली व आदेश की नकल लेकर अन्य वकील साहब से मिला जिनके द्वारा प्रार्थी को अपील पेश करने की सलाह ही तत्पश्चात पैसो की व्यवस्था कर अपील पेश कर रहा है। प्रार्थी की त्रुटि सद्भाविक एवं क्षम्य है, न्यायहित में उदारता का रूख अपनाकर मियाद कन्डोन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में दिनांक 30.04.2024 से दिनांक 20.12.2024 तक की अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर प्रार्थी की अपील अवधि मध्य मानी जाकर प्रार्थी को अपील में सुनवाई का किये जाने का आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

7. अपील के विचारधीन रहते हुए विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया गया कि प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रश्नगत प्रकरण से सुसंगत दस्तावेज है तथा अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जेन्युईन है तथा इन किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता है। अतः न्यायहित प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने बाबत स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने बाबत व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रति है जिस पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता है। उक्त दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत है अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने बाबत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री बिना अपीलान्ट बिना जवाबदेही व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्व है तथा शून्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यो को गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट के नाम ग्राम आवां तहसील कनवास में साबिक खसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा खसरा नम्बर 503 रकबा 10 बिस्वा कुल 2 किता की 3 बीघा 11 बिस्वा, के बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 1594 रकबा 0. 49 हैक्टर, खसरा नम्बर 1595 रकबा 0.08 हैक्टर कुल 2 किता की 0.57 आराजी राजस्व रिकॉर्ड मे अस्थायी खातेदार के रूप में दर्ज है। उक्त आराजी के सन्दर्भ में अपीलान्ट को कृषि विकास कार्य करवाने, सरकारी योजनाओ का लाभप्राप्त करने बैंक से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानी होने के कारण अपीलान्ट द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया, उक्त वाद के सन्दर्भ में प्रतिवादी द्वारा जवाब के माध्यम से कोई विरोध प्रक़ट नही करने के बावजूद भी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद मे अस्थायी खातेदार का नोट हटाये जाने बाबत सहायता चाही गयी जिसका किसी के द्वारा विरोध नहीं किया गया, किन्तु फिर भी वादी का वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के बाद न तो तनकीयात कायम की गयी और न वादी को साक्ष्य प्रस्तुत कर दस्तावेज को प्रदर्श करवाने का अवसर ही प्रदान किया गया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय के नेसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट को उक्त आराजी दिनांक 28.05.66 को आवंटन कर कब्जा प्रदान किया गया तथा तब से ही अपीलान्ट उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार अपीलान्ट उक्त आराजी का नेसर्गिक खातेदार हो जाने के बावजूद भी व ग्राम पंचायत आदि को कोई एतराज नही होने के बावजूद भी वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट

ने राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 की अधिसूचना कमांक 135 दिनांक 01.12.2021 तथा माननीय राजस्व मण्डल के प्रकरण प्रार्थना–पत्र/एलआर/20/2022/बून्दी बउनवान कमली बाई वगैरह बनाम सरकार व अन्य में पारित आदेश एवं प्रार्थना–पत्र/एल.आर./2092/2014/हनुमानगढ़ बउनवान मोहम्मदीन बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2014 की फोटोप्रति पेश की। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2024 निरस्त किए जाने तथा अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम आवां तहसील कनवास की खसरा संख्या 1594 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1595 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.57 हैक्टेयर आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अस्थाई खातेदार के अंकन को हटाए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पट्टा गैर खातेदारी दिनांक 24.05.1966 संलग्न है जिसमें खसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 503 रकबा 10 बिस्वा कुल 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि कोशल सिंह वल्द जोरावर सिंह की गैर खातेदारी में दर्ज किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण संख्या 869 के अनुसार प्रश्नगत खसरा नम्बर 502 व 503 की भूमि कोशल सिंह अपीलांट की गैर खातेदारी में दर्ज किए जाने का आदेश अंकित है। मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध सम्वत् 2058 से 2077 के अनुसार प्रश्नगत खसरा नम्बर 502 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 1594 रकबा 0.49 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 503 के नवीन खसरा नम्बर

1595 रकबा 0.08 हैक्टेयर बने होने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार प्रश्नगत खसरा नम्बर 1594, 1595 कुल किता 2 कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर वाके ग्राम आवां तहसील कनवास की आराजी कोशल सिंह पुत्र जोरावरसिंह की गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रश्नगत खसरा नम्बर 1594 व 1595 की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2075 एवं सम्वत् 2071 में खातेदार/गैर खातेदार के कॉलम संख्या 5 में अपीलांट का नाम दर्ज है तथा फसल के नाम के कॉलम संख्या 11 में सरसों की फसल का अंकन है। कार्यालय तहसीलदार कनवास के पत्र क्रमांक 519 दिनांक 12.01.2022 द्वारा प्रेषित जवाब के अनुसार वादी अपीलांट सम्वत् 2042 से सम्वत् 2078 तक निरन्तर राजस्व रिकॉर्ड में अस्थाई/गैर खातेदार दर्ज होने तथा वादी अपीलांट का कब्जा काश्त होने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 4.12.2023 के अनुसार प्रश्नगत खसरा नम्बर 1594 व 1595 की भूमि पर कोशल सिंह पुत्र जोरावर सिंह का कब्जा काश्त होने का अंकन है तथा तहसीलदार भू0 अभिलेख कनवास जिला कोटा के पत्र क्रमांक 181 दिनांक 06.02.224 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में प्रश्गनत खसरा नम्बर 1594 व 1595 की भूमि पर कोशलसिंह पुत्र जोरावर सिंह के काबिज होने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा दिनांक 24.05.2024 एवं दिनांक 03.09.2024 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की आवंटनशुदा भूमि है तथा अपीलांट नामान्तरकरण संख्या 469 के अनुसार दिनांक 24.03.1973 से निरन्तर राजस्व रिकॉर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज चला आ रहा है तथा वर्तमान राजस्व अभिलेख में भी वादग्रस्त आराजी अपीलांट की गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। तहसीलदार कनवास द्वारा अपने पत्र क्रमांक 181 दिनांक 06.02.2024 द्वारा प्रेषित मोका रिपोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाबदावे में भी वादग्रस्त आराजी पर वादी अपीलांट का कब्जा काश्त होने का अंकन है। वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी को गैर खातेदारी से स्वयं की खातेदारी में दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादी अपीलांट द्वारा वांछित अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं करते हुए वादी अपीलाट को तहसीलदार कनवास के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किए जाने का आदेश प्रदान करते हुए वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का आदेश अपने निर्णय दिनांक 30.04.2024 में अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट वादी द्वारा वांछित अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्षकारान की साक्ष्योपरांत गुणावगुण पर अंतिम रूप से निरस्तारण के उपरांत ही प्रदान किया जाना उचित है। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं में परीक्षण करने के उपरांत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण का

गुणावगुण पर निस्तारण करना आवश्यक है। अतः प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 54/2019 में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रश्नगत प्रकरण में वादी अपीलांट द्वारा वांछित अनुतोष के आधार पर प्रकरण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं में परीक्षण करें, प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम करें तथा उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना में तनकीवार नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 08.09.2025 को स्वंय उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा